(ग) और (घ) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वर्ष 1995, 1994 तथा 1993 के दिनांक 30 अक्तूबर तक 1994-95, 1993-94 तथा 1992-93 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य का बकाया क्रमशः 185.09 करोड़ रुपये, 61.93 करोड़ रुपये तथा 76.98 करोड़ रुपये था।

(ङ) और (च) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(3 ए) में गन्ने की आपूर्ति के भुगतान में 14 दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर चीनी फैक्ट्री पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देयता का प्रावधान है। कृषकों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान को लागू करवाने के लिए राज्य सरकार की संविधि एवं वैधानिक नियमों में प्रावधान है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप-धारा 5 में वे प्रावधान दिए गए हैं जो कृषकों को गन्ने के बकाया के भुगतान के उद्देश्य के लिए अलग से चीनी मिलों द्वारा उत्पादित या किये जाने वाले उत्पादन की सिक्योरिटी पर बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम की प्रतिशतता को जोड़े जाने में समर्थ बनाता है। दोषी चीनी मिलों से कलेक्टर द्वारा गन्ना आयुक्त द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के आधार पर, गन्ना मूल्य बकाया की वसूली भू-राजस्व की ही तरह प्रभावी ढंग से करने का प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 17 में निहित है।

Decision to Open up Indo-Pak Trade

152. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA: SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has decided to open up trade with India;

(b) if so, the details thereof and reaction of Government thereto; and

(c) the details of the total trade between India and Pakistan during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) Government have not received any formal communication from Pakistan on its opening up of trade with India.

(c) Details of total trade between India and Pakistan during the last three years are indicated below:

(Value in Rs. crores)

Year	Export to Pakistan	Import from Pakistan	Total Trade
1993-94	200.96	136.65	337.61
1994-95	179.71	165.61	345.32
1995-96	256.80	150.80	407.60

राष्ट्रीय मजदूरी नीति

153. **श्री नागमणि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में श्रमिकों के कल्याण और लाभ के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) सरकार के समक्ष एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सौदेकारिता और समझौते के माध्यम से किया जाता है। जहां आवश्यक होता है, सरकार कतिपय क्षेत्रों में मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए मजदूरी बोर्डों का भी गठन करती है। असंगठित क्षेत्रों में, मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाले अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण करने/उनमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम में मजदूरी की न्यूनतम दरों का आवधिक संशोधन करने की व्यवस्था की गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया (सुगरकेन सप्लाई बांड प्रासीजर) में धांधली

154. **श्री सोमपाल:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान गन्ना पेराई मौसम के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है व इन व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम क्या-क्या हैं;

(ङ) आगामी वर्ष के लिए गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया को पारदर्शी एवं दुरुस्त बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (च) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Interim Relief to Journalists

155. SHRI GOVINDRAM MIRI: will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government is amenable to journalists' demand for grant of interim relief to the tune of 50%;

(b) if so, whether Government is to announce the same by July end; and

(c) if not, reasons and justification therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The matter is under consideration of the Government and a final decision will be taken soon.

Unemployment among Handicapped Persons

156. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of unemployed handicapped persons registered with various employment exchanges in the country State-wise particularly in the State of Punjab during the last three years;

(b) the number of such persons provided with employment during this period, State-wise; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) A statement prepared on the basis of the information furnished by Directorate General of Employment and Training is at Anne-xure-I *[See Appendix 178, Annexure No. 8]*

(c) Another Statement containing steps being taken by the Central Government to facilitate and promote employment of the handicapped is given in the Statement.

Statement

Steps taken by Central Government for employment of Handicapped persons

(i) Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 contains a provision that the appropriate Govt, shall appoint in every establishment not less than 3% of persons with Disability of which 1% each shall be reserved for persons suffering from:—

(a) blindness or low vision;

(b) hearing impairement; and

(c) Locomotor disability or cerebral palsy in the posts identified for each disability.

Some reservation in Group *C' and 'D' for Handicapped Persons had already been there even before the Law came into force. Similar reservation have been given by some State Govts. In addition, the Handicapped are also given 'age concessions' in the upper age limit and relaxation in the 'medical standards' for entry into Government jobs.